न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,(प्रशासन) बीकानेर
बईजलास श्री ए.एच.गौरी, आर.ए.एस.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नम्बर मुकदमा 37/2012 रेफरेंस (राजस्व विविध) 2012/00032

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) पूगल

प्रार्थी

बनाम

बाबुलाल पुत्र अन्नाराम जाति ब्राह्म्मण निवासी कानोलाई हाल चक 6 डीकेडी तहसील पूगल जिला बीकानेर

अप्रार्थी

::रेफरेंस अन्तर्गत धारा 232 राज. काश्त. अधि. 1955 एवं सपठित धारा 82 एवं 88 (2) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956::

उपस्थिति :-

1- स्टेट की ओर से – विभागीय प्रतिनिधि
2- अप्रार्थी की ओर से – श्री भागीरथ प्रसाद मान अधिवक्ता

आदेश दिनांक 20.09.2018

1. प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी स्टेट की ओर से तहसीलदार पूगल ने रेफरेंस प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 6 डी.के.डी. तहसील पूगल के मुरब्बा नम्बर 104/50 किलां नं. 6 ता 7, 11 ता 25 में कुल 17 बीघा कमाण्ड भूमि जो कि ग्राम राणेवाला के खसरा 103 की कुल रकबा 166.11 बीघा मिसल बन्दोबस्त में जोहड़ पायतन दर्ज रिकार्ड थी। वर्तमान जमाबन्दी संवत 2065-2068 व 2066-2069 में वर्णित जोहड़ पायतन गैर मुमकिन भूमि की किस्म को मुमकिन काश्त में परिवर्तन कर सहायक आयुक्त उपनिवेशन इ.गा.न.प. योजना छत्तरगढ़ के आदेश 26.12.1985 के द्वारा बाबुलाल पुत्र अन्नाराम जाति ब्राह्म्मण निवासी कानोलाई हाल चक 6 डीकेडी तहसील पुगल को भूमि पुख्ता आवंटन कर दी। आवंटन की गई भूमि विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त योग्य है। अतः रेफरेंस प्रार्थना पत्र स्वीकार कर माननीय राजस्व मण्डल को रेफरेंस करने हेतु निवेदन किया गया।

2. रेफरेंस प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी एवं अधिनस्थ न्यायालय की मूल आवंटन पत्रावली तलब की गई। अप्रार्थी की ओर से श्री भागीरथ प्रसाद मान अधिवक्ता ने वकालतनामा एवं जवाब रेफरेंस प्रस्तुत किया।

3. तदन्तर विभागीय प्रतिनिधि व अप्रार्थी पक्ष के विद्वान अभिभाषक की मामले के गुणावगुण पर बहस सुनी गई ।

4. स्टेट की ओर से विभागीय प्रतिनिधि की बहस है कि चक 6 डी.के. डी. तहसील पूगल के मुरब्बा नम्बर 104/50 किलां नं. 6 ता 7 एवं 11 ता 25 में कुल 17 बीघा कमाण्ड भूमि राजस्व रेकार्ड में गैर मुमकीन जोहड़ पायतन दर्ज थी। जिसे उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) बीकानेर ने अपने आदेश दिनांक 26.12.1985 के द्वारा अप्रार्थी को आवंटित कर दी। डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 में इस प्रकार के आवंटनों को अवैध माना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 (3) के अनुसार गैर मुमकीन आगौर पायतन की भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते। उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) बीकानेर द्वारा किया गया आवंटन विधि विरूद्ध व स्वतः ही शून्य आदेश है। रेफरेंस करने की मियाद निर्धारित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रेफरेंस आदेश फरमाया जावे।

5. अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस है कि चक 6 डी.के.डी. तहसील पूगल के मुरब्बा नम्बर 104/50 किलां नं. 6 ता 7, 11 ता 25 में कुल 17 बीघा कृषि भूमि सहायक उपनिवेशन आयुक्त (इ.गा.न.प.योजना) छत्तरगढ़ द्वारा दिनांक 26.12.1985 को अप्रार्थी को आवंटन नहीं किया था। बल्कि अप्रार्थीगण महाजन फील्ड फायरिंग रैंज के विस्थापित है इनको अपनी खातेदारी भूमि के बदले आवंटन राज्य सरकार के विशेष प्रावधानों से उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) बीकानेर ने बतौर खातेदार उसकी खातेदारी भूमि MFFR अवाप्ति के बदले खातेदारी आवंटन किया था। उक्त भूमि जोहड़ पायतान की भूमि थी। इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में भूमि आवंटन एवं विक्रय नियम 1975 के तहत जोहड़ पायतान भूमि का आवंटन किया जा सकता है, उक्त आवंटित रकबे की कीमत नियम 17(1) के तहत साधारण आवंटन की रिजर्व कीमत की चार गुना कीमत पर आवंटन किया जाता है। अप्रार्थी का आवंटन इसी श्रेणी का होने से उनसे भी चार गुणा कीमत लेकर आवंटन विधि सम्मत किया गया है। उपनिवेशन क्षेत्र में जोहड़ की आवश्यकता नहीं समझी गयी है। उपनिवेशन क्षेत्र की भूमियों पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 लागू नहीं होती है। क्योंकि उपनिवेशन अधिनियम एक विशेष एक्ट है जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम साधारण एक्ट होने के कारण उसके प्रावधान विशेष अधिनियम पर प्रभावी

नहीं हो सकते है तथा उपनिवेशन क्षेत्र में आने वाली भूमियों पर माननीय उच्च न्यायालय का आदेश लागू नहीं होती है। उपनिवेशन क्षेत्र में पीने के पानी व पशुओं के पीने के पानी की डिग्गियां बनाकर व्यवस्था की गई है और उन डिग्गियों को नहरी पानी से भरा जाता है। सिंचाई पानी की कमी हो सकती है परन्तु पीने का पानी नहरों से सुचारू रूप से दिया जाता है। अप्रार्थी ने भूमि को सुधारा है लाखों रूपये उस पर खर्च किये है। 26–27 वर्षो से इस भूमि पर काश्त करके भूमि इतनी नर्म हो गई है कि अब वहां जोहड़ पायतान का कोई यूज नहीं हो सकता है। अप्रार्थीगण महाजन फील्ड फायरिंग रैंज के विस्थापित है इनको अपनी खातेदारी आवंटन भूमि के बदले खातेदारी आवंटन राज्य सरकार के विशेष प्रावधानों से किया है इनकी खातेदारी रेफरेंस के जरिये खारिज नहीं की जा सकती है, रिव्यू हो सकती है। एक बार विस्थापित को दुबारा विस्थापित नहीं किया जा सकता है। रेफरेंस प्रार्थना पत्र पूर्णतया वेग आधारहीन तथा विधि विरूद्ध होने तथा मियाद बाहर होने के कारण खारिज करने योग्य है। अतः प्रस्तुत रेफरेंस प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

6. हमने अधिनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली व न्यायालय में जैर पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया व उभय पक्ष की बहस पर मनन किया । प्रश्नगत भूमि मिसल बन्दोबस्त ग्राम राणेवाला के खसरा नम्बर 103 की कुल रकबा 166.11 बीघा गैर मुमकीन जोहड़ मजकूर दर्ज रिकार्ड है। जो कि मुताबिक उपनिवेशन विभाग की सूची नं. 4 के खसरा नम्बर 103 से अन्य रकबों के अलावा चक 6 डी.के.डी. तहसील पूगल के मुरब्बा नम्बर 104/50 किलां नं. 6 ता 7, 11 ता 25 में पैमूद हुई। मुताबिक वर्तमान जमाबन्दी संवत 2065–68 में प्रश्नगत भूमि अप्रार्थी के नाम दर्ज हुई है। बहस में अप्रार्थी की ओर से उठाया गया बिन्दु की प्रश्नगत भूमि राज्य सरकार द्वारा आवंटित की गई सही नहीं है। क्योंकि मुताबिक आवंटन आदेश उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) बीकानेर के द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) 1975 के अन्तर्गत किया गया है। जिसके विरूद्ध रेफरेंस पोषणीय है। आवंटित की गई भूमि मुताबिक मिसल बन्दोबस्त ग्राम राणेवाला एवं सूची नं. 4 के राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 (3) के अनुसार प्रतिबंधित श्रेणी की है। इस भूमि को ना तो आवंटन किया जा सकता है व ना ही उस पर खातेदारी अधिकार अर्जित होते है। डीबी सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च

न्यायालय में अपने निर्णय दिनांक 2.8.04 द्वारा जोहड़ पायतन के संबंध में पारित आदेशों को अवैध माना है। मुतनाजा भूमि रिकार्ड में गैर मुमकीन जोहड़ पायतन की होने के कारण अप्रार्थी को किया गया आवंटन बहाल रखना हम उचित नहीं पाते है। हम विभागीय प्रतिनिधि की बहस से पूर्णतया सहमत होते हुवे रेफरेंस प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायौचित पाते है।

7. उपरोक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में प्रार्थी स्टेट द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त रेफरेंस प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को इस अनुरोध के साथ रेफर किया जाता है कि अप्रार्थीगण के पक्ष में चक 6 डी.के. डी. तहसील पूगल के मुरब्बा नम्बर 104/50 किलां नं. 6 ता 7, 11 ता 25 बीघा कमाण्ड भूमि की बाबत उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) बीकानेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.12.1985 को खारिज करते हुवे प्रश्नगत भूमि बहक सरकार ली जाकर राजस्व रिकार्ड में अराजीराज अंकित करने के निर्देश प्रदान किये जावे।

8. उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 20.11.2018 को माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष उपस्थित होवें।

9. आदेश आज दिनांक 20.09.2018 को मेरे लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एच. गौरी)
अति.जिला कलक्टर(प्रशा)
बीकानेर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official